रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 1975
भाद्रपद 17, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3551/सत्रह-वि-1-104-75
लखनऊ, 8 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1975 पर दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1975)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में बंधित श्रम का प्रतिषेध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1975 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 22 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषा

2—इस अधिनियम में 'बंधित श्रम' का तात्पर्य उस कार्य या सेवा से है जो किसी व्यक्ति या उसके आश्रितों से किसी शास्ति का भय दिखा कर या किसी ऋण या अग्रिम के मूलधन या ब्याज या दोनों के शोधन या किसी अन्य संविदा या समान आभार के उन्मोचन हेतु बलात् लिया जाय।

बंधित श्रम का उत्सादन और प्रतिषेध

3—कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि, परम्परा या करार के आधार पर, जिसे उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा शून्य कर दिया गया है, या किसी भी प्रकार के किसी अन्य ऋण के आधार पर, किसी व्यक्ति को बेगार या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम करने को विवश नहीं करेगा।

रूढ़ि, संविदा आदि का शून्य होना

4--कोई भी रूढ़ि या परम्परा या कोई संविदा या अन्य लिखत (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् की गई या निष्पादित हो) जिसके अधीन या जिसके कारण किसी ऋणी या उसके आश्रितों में से किसी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी से लेनदार के लिए श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगी ।

शास्ति

5--इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या एक हजार रुपये तक जुर्माने का, या दोनों का दंड दिया जायगा ।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति

6--कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या करने वाला है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

निरसन तथा अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश वन्धित श्रम प्रतिषेध अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1975

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--329 सा० (विधा०) - 2693- 1975- 1805 (मे०) [illegible]

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF BONDED LABOUR ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 44 OF 1975)

[†Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bandhit Shram Pratishad Adhiniyam, 1975.]

AN

ACT

to prohibit bonded labour in any form in Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Bonded Labour Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on July 22, 1975.

Definition.

2. In this Act 'bonded labour' means all work or service which is extracted from any person or his dependents under menace of any penalty, or, in repayment of principal or interest or both of any loan or advance or in discharge of any other contract or like obligation.

Abolition and prohibition of bonded labour.

3. No person shall compel any person to render any bonded labour, or other similar form of forced labour, whether on the basis of any custom, tradition or agreement rendered void by virtue of section 5 of the Uttar Pradesh Landless Agricultural Labourers Debt Relief Act, 1975, or on the basis of any other debt whatsoever.

U. P. Act no. 12 of 1975.

Custom contract, etc. to be void.

4. Any custom or tradition or any contract or other instrument (whether entered into or executed before or after the commencement of this Act) whereunder or by virtue of which any debtor or any of his dependents or any member of his family is required to work as labourer or otherwise for the creditor, shall be void.

Penalty.

5. Any person contravening the provisions of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend up to Rs.1,000 or with both.

Power to arrest without warrant.

6. Any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed or of committing a contravention of the provisions of this Act.

Repeal and savings.

7. (1) The Uttar Pradesh Prohibition of Bonded Labour Ordinance, 1975 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 21 of 1975.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(†For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 30, 1975.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 1975 and by Uttar Pradesh Legislative Council on July 31, 1975.)

(Received the Assent of the President on September 7, 1975 under Article 201, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated September 8, 1975.)

PSUP—A.P. 330 Sa. (Vidha.)—2694—1975—1823. (M.).